भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3590

उत्तर देने की तारीखः 15.07.2019

विद्यालय बीच में छोड़ने की दर

3590. कुंवर दानिश अलीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में विशेषतः अमरोहा में सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की बेहतरी के लिए गत पांच वर्षों के दौरान आबंटित/जारी बजट की राशि और अब तक खर्च हुई राशि कितनी है;

(घ) क्या सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान से भी उत्तर प्रदेश में विद्यालय बीच में छोड़ने की दर कम नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश में विद्यालय बीच में छोड़ने की समस्या को खत्म करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) के जरिए विभिन्न शैक्षिक संकेतकों के संबंध में सभी स्कूलों (सरकारी, सहायता-प्राप्त और निजी) से वार्षिक रूप से सूचना एकत्र की जाती है और इसका उपयोग पढ़ाई बीच में छोड़ने की वार्षिक औसत दर की गणना के लिए किया जाता है। यूडीआईएसई के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की वार्षिक औसत दर वर्ष 2013-14 में 7.7% थी, जो वर्ष 2017-18 में, घटकर 7.24% हो गई है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की वार्षिक औसत दर वर्ष 2013-14 में 9.9% थी, जो वर्ष 2017-18 में घटकर 8.6% हो गई है। भारत सरकार द्वारा "21 राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के आकलन हेतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण" नामक अध्ययन शुरू किया गया था। अध्ययन के अनुसार, पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण, आर्थिक मुद्दे, बच्चों से घर का काम करवाना, अध्ययन में रूचि न होना और परिवारों का पलायन आदि, हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत तथा वर्ष 2018-19 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी केंद्रीय भाग और किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	योजना	जारी केंद्रीय भाग	व्यय*
1	2014-15	एसएसए	449867.53	780113.36
2	2015-16		505434.30	1205725.47
3	2016-17		505433.99	1458836.03
4	2017-18		424980.68	645175.27
5	2018-19	समग्र शिक्षा (प्रारंभिक घटक)	447268.82	652974.17

*व्यय जारी केंद्रीय भाग, राज्य के भाग और विविध प्राप्तियों, यदि कोई हो, से प्राप्त राशि से किया गया है।

(घ) से (च): वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2017-18 तक परिचालित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने उत्तर प्रदेश सहित देश में शिक्षा उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की केंद्र-प्रायोजित योजना था और इसे देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की भागीदारी से कार्यान्वित किया गया था। इसके समग्र लक्ष्यों में सर्वसुलभ पहुंच तथा प्रतिधारण, शिक्षा में जेन्डर तथा सामाजिक वर्ग अंतराल को पाटना और बच्चों के अधिगम स्तरों में वृद्धि शामिल है। इस कार्यक्रम को शुरूआत से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता के रूप में कल्पना की गई थी। एसएसए ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिधारण में वृद्धि करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दरों में कमी करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध कराए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत नए स्कूल खोलने/स्तरोन्नत करने, स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, नि:शुल्क वर्दियां, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराके तथा नामांकन एवं प्रतिधारण संबंधी मुहिम शुरू करके प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने और नामांकन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त,स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के उपयुक्त दाखिले के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय कैम्प, कार्य-स्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रोन्मुखी घटक के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा मूल्यांकन सहायता-सामग्री और उपकरणों, ब्रेल किट तथा पुस्तकों, समुचित शिक्षण-अधिगम सामग्री, परिवहन एवं एस्कॉर्ट सुविधा और नि:शक्त बालिकाओं को वृत्तिका आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****